For the Annual Plan 1993-94, the revised outlay was Rs. 379.20 crores including Rs. 197.06 crores of Special Central Assistance. The estimated expenditure is about Rs. 377.21 crores including Rs. 197.06 crores of Special Central Assistance. For 1994-95, an outlay of Rs. 455.00 crores has been proposed by the State Government which includes Rs. 197.06 crores of Special Central Assistance.

The specific programmes/schemes for which funds are being allocated in 1994-95 include, *inter alia*, crop husban— dry soil and water conservation, animal husbandry, forestry, dairy development, food storage: warehousing: marketing and cooperation, rural development, irrigation and flood control, village and small industries, transport and communications, conventional and non-conventional sources of energy and social services.

कोयला परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुये परिवारों का पुनर्वास

*388. श्री ईश दत्त यादव :
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुये परिवारों के पुनर्वास अथवा उन्हें नौकरी उपलब्ध कराने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों की परियोजना-वार संख्या कितनी है जिन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जानी है; और

(ग) सरकार इस कार्य में तेजी लाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, नहीं। कोयला परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुये व्यक्तियों का पुनर्वास किये जाने तथा रोजगार दिये जाने के संबंध में काफी प्रावधान विद्यमान है । भू-वंचित व्यक्तियों के लिये उपलब्ध पुनर्वास पैकेज में निम्नलिखित व्यवस्था है :

(i) जहां तक अकुशल तथा अर्द्ध-कुशल श्रेणियों के लिये परियोजना में नये रोजगार के अवसर सृजित किये जाते हैं, उन्हें पूर्णतः भू-वंचित परिवारों के लिये आरक्षित रखा जायेगा ।

(ii) परियोजनाओं में अन्य श्रेणी के कार्यों में रोजगार प्रदान करने के लिये, भू-वंचित व्यक्तियों की कार्य-कुशलता के उन्नयन हेतु उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधायें प्राथमिकता के आधार पर मुहैया की जायेंगी ।

(iii) सभी बेदखल परिवारों को उपयुक्त अधसंरचनात्मक सुविधाओं सहित वैकल्पिक आवास स्थल मुहैया किये जायेंगे । प्रत्येक बेदखल परिवार को 2000/- रु० स्थानांतरण खर्चे के रूप में तथा आवास के लिये 5,000/- रु० की राशि अनुदानके रूप में एकमुश्त अदा की जायेगी ।

(iv) अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के लिये नकद मुआवजे की राशि अग्रिम रूप में जिला प्रशासन के पास जमा करा दी जायेगी ताकि भू-स्वामित्व वाले विस्थापित परिवारों को मुआवजे के भुगतान में विलंब न हो ।

(v) ऐसे परिवार, जिनके एक सदस्य को रोजगार का लाभ नहीं दिया गया है, उन्हें 20 वर्ष के लिये यथा-अपुपात के आधार पर 300/- रु० प्रतिमाह प्रति एकड़ की दर से जीवन निर्वाह-भत्ता की अदायगी की जायेगी, जोकि बशर्ते 1000/- रु० प्रति माह तथा प्रति परिवार प्रति माह अनुग्रह

की 100/- रु0 की राशि से अधिक न हो।

उपर्युक्त दर पर उल्लिखित जीवन-निर्वाह भत्ते को 20 वर्ष के आधार पर पूंजीकृत किया जायेगा तथा भू-वंचित व्यक्तियों की वितरित करने के लिये संबद्ध राज्य सरकार के पास जमा कर दिया जायेगा।

(ख) सरकार द्वारा पुनर्वास संबंधी रिकार्डों को केन्द्रीयकृत रूप में नहीं रखा जाता है और इस संबंध में सूचना का संग्रहण और उसे एकत्रित करने के मामले में लगी समयावधि तथा प्रयास उन परिणामों के अनुरूप, नहीं होंगे जिस उद्देश्य के लिये यह सूचना मांगी गई है।

(ग) कोयला कम्पनियों द्वारा पुनर्वास कार्य में और त्वरिता लाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं:—

(i) किसी परियोजना विशिष्ट के संबंध में, जहां तक भूमि अधिग्रहण, विस्थापित व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट किये जाने, मुआवजा, आदि की हकदारी का संबंध है, अग्रिम कार्रवाई की जाती है।

(ii) विभिन्न स्तरों पर आवधिक बैठकें यह देखने के लिये की जाती हैं कि ऐसे व्यक्ति, जोकि विस्थापित किये गये हैं, उन्हें न्यूनतम कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

(iii) मुआवजा के संबंध में और/अथवा स्थापित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार रोजगार दिये जाने के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाता है।

Joint Ventures in Deep Sea Fishing

586. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to set up joint ventures in deep sea Fishing in the country's Exclusive Economic Zone (EEZ) during the current financial year;

(b) if so, the details and number of joint ventures projects approved; and

(c) the total investment proposed to be made in these projects?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes Sir.

(b) Out of 4 proposals received during 1994-95 one has been approved so far. The details of the cases are furnished in the Statement enclosed. (*See* below)

(c) The total investment proposed to be made in these project is Rs. 23.58 crores.

Statement

Deep Sea Fishing Proposals received during 1994-95

(Rs. In Crores)

S. No.	Name of the Company	Type of Project	Name of foreign Collaborator	Total Project Cost	Foreign equity
1	2	3	4	5	6
1	Andaman Fisheries, New Delhi	Jt. Venture/Leasing for 3 Stern Trawlers	M/s 2 F (Thailand) Co. Ltd., Bangkok, Thailand.	1.56	0.02